संख्या–1653/चि–3–11–जी–179/2005,

प्रेषक,

मृत्युंजय कुमार नारायण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉक 23 मई 2011

विषयः–पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पुरूष व महिला चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन (डिप्लोमा) करने एवं छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ व आल इण्डिया हाइजिन इंस्टीट्यूट कलकत्ता में डी0पी0एच0 (डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ) करने के सम्बन्ध में अर्हतायें एवं शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन (डिप्लोमा) करने एवं छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ व आल इण्डिया हाइजिन इंस्टीट्यूट कलकत्ता में डी0पी0 एच0(डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ) करने वाले अधिकारियों के चयन हेतु पूर्व में जारी शासनादेश दिनॉक 03.06.1987 तथा 12.05.2004 द्वारा अर्हतायें एवं शर्ते निर्धारित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्रॉक–प्रशि0 प्रको0/709 दिनॉक 23.02.2011, पत्रॉक–प्रशि0प्रको0/4183 दिनॉक 05.05.2011 तथा पत्रॉक–प्रशि0 प्रको0/2438 दिनॉक 10.05.2011 के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में प्रचलित शासनादेश दिनॉक 03.06.87 तथा 12.05.2004 को अवक्रमित करते हुए शासकीय व्यय पर पी0जी0 डिप्लोमा हेतु अर्हतायें एवं शर्ते निम्नवत् निर्धारित की जाती है।

(1) अभ्यर्थियों का चयन सेवा काल की अवधि लेन्थ आफ सर्विस तथा चरित्र पंजिका को ध्यान में रखकर किया जायेगा।
(2) 45 वर्ष से अधिक आयु के चिकित्सा अधिकारियों का चयन नही किया जायेगा।
(3) पी0जी0 डिप्लोमा हेतु पॉच वर्ष की अनिवार्य सेवा तथा उससे अधिक की गयी, शासकीय सेवा यदि ग्रामीण क्षेत्र (सामु0स्वा0केन्द्र, प्राथ0स्वॉ0केन्द्र) की हो तो प्रत्येक वर्ष सेवा को दुगुना मानते हुए चयन में वरियता दी जायेगी। चूॅकि उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के दस वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में की गयी सेवा मापदण्ड औचित्यपूर्ण नही रह गया है।
(4) पी0जी0 डिप्लोमा के चयन हेतु कम से कम पॉच वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को संज्ञान में लिया जाय और वही मानक अपनाया जाय जो प्रोन्नति/समयमान वेतन हेतु अपनाते जाते है।
(5) यदि किसी चिकित्साधिकारी का विगत वर्ष/वर्षो में विभागीय पी0जी0 डिप्लोमा में अध्ययन हेतु चयन किया गया था और उसमें पी0 जी0 डिप्लोमा

क अध्ययन मे प्रवश नही लिया ह अथवा प्रवश लन क बाद छाड़ दिया ह ता उसके प्रार्थना पत्र पर तीन वर्ष तक विचार नही किया जायेगा।

(6) पी0जी0 डिप्लोमा अध्ययन काल के दौरान सम्बन्धित मेडिकल कालज क प्रधानाचार्य से चिकित्साधिकारी की वार्षिक परफारमेन्स रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। मध्य सत्र में अकारण पी0जी0 छोड़ देने अथवा पी0जी0 करने के उपरान्त 05 वर्ष के अन्दर शासनकीय सेवा छोड़ देता है, तो सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को रू0 दस लाख एवं पी0जी0 कोर्स के दौरान दिये गये वेतन के बराबर धनराशि विभाग को प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इसके लिये उक्त धनराशि को दो बराबर बराबर जमानतदार, जो विभागीय अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि बाकी हो अथवा उस धनराशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी। प्रशिक्षण के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सक को कम से कम तीन वर्ष तक प्रशिक्षित विधा के विभाग में कार्य करना अनिवार्य होगा।

2— उक्त डिप्लोमा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के चयन हेतु निम्न अधिकारियों की चयन समिति गठित की जाती है।

(1)	**निदेशक,(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें**	**अध्यक्ष,**
(2)	**निदेशक, (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,**	**सदस्य,**
(3)	**निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0**	**सदस्य,**
(4)	**निदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0**	**सदस्य,**

उक्त पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन के लिये प्रार्थना पत्र व्यापक स्तर पर मँगाये जाये तथा इसकी सूचना पी0एम0एच0एस0 एसोशियसन को भी दी जाय और दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी इसे प्रकाशित कराया जाय।

3— प्रत्येक अभ्यार्थी से मेडिकल कालेज व विषय विशिष्टता की तीन विकल्प माँगे जाय तथा जिन विशिष्टता में सर्वाधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हो, उसमें सबसे पहले चयन किया जाय। इसके बाद दूसरी विशिष्टता जिसमें सबसे अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हो उस पर फिर उसी क्रम में विशिष्टताओं पर चयन किया जाय।

4— उपरोक्तानुसार कलकत्ता मेडिकल कालेज एवं छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डी0पी0एच0 कोर्स तथा अन्य मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन (डिप्लोमा) करने के लिये अपेक्षित नामों की सूची का चयन करके प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित कोर्स के प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ताकि शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के पूर्व ही स्वीकृत दिया जाना सम्भव हो सकें। प्रत्येक चयन के सम्बन्ध में यह अवश्य अंकित कर दिया जाय उस चयन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कब से प्रारम्भ होना है तथा वह कब तक चलेगा।

5— उपरोक्त डी0पी0एच0 एवं स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित अधिकारियों को ड्यूटी पर मानते हुए प्रत्येक मेडिकल कालेज में आरक्षित सीटों पैथालाजी, एनेस्थेटिस्ट, गाइनोकोलाजी, पिड्रियाटिक्स, आपथलमोलाजी तथा रेडियोलाजिस्ट में डिप्लोमा करने की स्वीकृति दी जायेगी। इन्हें किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर योग्यता वेतन नही दिया जायेगा। अध्ययन की अवधि में इन चिकित्साधिकारियों को आवॅटित मेडिकल कालेजों में आर0डी0एम0ओ0 के पद पर माना जायेगा।

6— उपरोक्त नीति / मानकों में महानिदेशालय स्तर पर शिथिलता देने का अधिकार नही होगा।

उपरोक्त विषय पर पूर्व में जारी समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

भवदीय,

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
सचिव।

संख्या-1635 (1) / चि-3-11-तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1— महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, लखनऊ।
2— निदेशक, (प्रशासन) प्रशिक्षण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3— प्रधानाचार्य (समस्त मेडिकल कालेज) उ0प्र0।
4— समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
5— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव।